LOK SABHA

Wednesday, December 2, 1981/Agrahayana 11, 1903 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER : Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of one of our former colleagues, Shri Ganeshi Lal Chaudhary, who was a Member of the First Lok Sabha during 1952-57. Later, he was a Member of Legislative Assembly of Uttar Pradesh during 1957-67. He also served as a Member of Rajya Sabha during 1968-74.

An advocate and a social worker, he championed the cause of the weaker sections of the society and evinced special interest in the welfare of Harijans. He was associated with a number of social organisations.

An active parliamentarian, he took keen interest in Lok Sabha proceedings.

He passed away at New Delhi on 7 November, 1981, at the age of 60 years.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Staff for Publication of Hindi Journals

*141. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the existing arrangements for implementing the decisions of the Central Hindi Committee and the provisions made for taking action against the concerned Ministry and Department in case of violation of those decisions;

(b) the decision taken in regard to giving status and staff to the publications and journals of official language Hindi equal to that of English publications and journals;

(c) the number of such English magazines being brought out by the Government of India which still have more staff and higher status than that of Hindi magazines and the details of instructions issued to the Publications Divisions for removing such discrimination towards Hindi publications; and

(d) the action being taken by Government to provide due status and facilities to the Editorial Staff of Hindi journals particularly 'AVISHKAR' 'Kheti', 'Kurukshetra', 'Yojana', 'Bhagirathi' and 'Vigyan Patrika'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d). Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The Kendriya Hindi Samiti presided over by the Prime Minister is the apex body which provides guidance and advice in the matter of progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Besides the Prime Minister, nine other Cabinet Ministers and both the Ministers of State of the Home Ministry are also members of this Committee, and so all the important Ministeries of the Government of India are represented in it at the highest level. Several Chief Ministers from both Hindi and non-Hindi States are also its members. The Committee is, therefore, obviously of a high status.

Before any matter is placed before the Committee, consultations are held with the concerned Ministries also. As the decisions of the Committee are by consensus, and the Ministers of all the concerned Ministries are thereby associated with it, no difficulty is encountered in implementing these decisions in any department of the Government.

Follow-up action on the recommendations of the Kendriya Hindi Samiti is monitored by the Official Language Department and report in this behalf is placed before the Samiti.

(b) All the Ministries and Departments had been requested by the Official Language Department to examine the staff position on the journals and magazines published by them and to ensure that the staff provided to the magazines and journals in Hindi is the same as provided for the magazines and journals in English and pay-scales are identical.

(c) and (d). Information is being collected from all Ministries and Departments and will be laid on the Table of the House.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, इस मुल्क को आजाद हुए आज 34 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हिन्दी आज तक न राष्ट्र भाषा, न राजभाषा और न सम्पर्क भाषा बन पाई है और इसका बेहतरीन उदाहरण आपको इस प्रश्न के उत्तर से मालूम होगा कि सरकार इसको कितना महत्व देती है। मैंने प्रश्न किया था—केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए इस समय क्या व्यवस्था है और उक्त निर्णयों का उल्लंघन करने की सूरत में सम्बन्धित मंत्रालय तथा विभाग के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा, मंत्री जी ने जवाब दिया है—प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं, अमुक-अमुक मंत्री हैं और अमुक स्टेट के लोग हैं. इसमें सदस्य का नाम बताया और महत्व बताया है। लेकिन मैंने जो सवाल किया है, उसको इन्होंने छूआ तक नहीं है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हिन्दी को कितना महत्व देते हैं और इनके मन में कितनी इच्छा है वास्तव में हिन्दी को देश के पैमाने पर लागू करने की और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा बनाने की। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे चाहते हैं कि इस मुल्क में हिन्दी प्रन्ततोगत्वा राष्ट्रभाषा बने? यदि बने, तो वह कब तक उन्होंने समय तय किया है कि इस समय तक राष्ट्रभाषा बने? जो स्थिति है, उससे लगता है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हनुमान के लंगूर की तरह से बढ़ती जा रही है और मेरा विश्वास है कि वर्तमान

सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्तर नहीं दे पाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : हनुमान के लंगूर की तरह या हनुमान के पूंछ की तरह ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में नाम इसलिए लिए थे कि वे समझ सकें कि यह समिति कितनी महत्वपूर्ण है और उसका कितना बड़ा स्टेटस है। प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षा हैं और नौ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और कई चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके सदस्य। क्योंकि हमें जो काम लेना है, सब डिपार्टमेंट से, उसमें मिनिस्ट्री इन्वाल्व होंगी तो काम अच्छे ढंग से हो सकता है। क्योंकि प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षा हैं, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है ···

श्री रामावतार शास्त्री : राज भाषा कहिये। देश की सभी भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जरा सोच-समझ कर कहिये, हिन्दी राज भाषा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, गलती हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि हिन्दी का जवाब हिन्दी में दूं।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी के कथनानुसार इस प्रश्न पर जो भी प्रश्न होंगे वे हिन्दी में होंगे और उनके उत्तर भी हिन्दी में होंगे

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, हमने जो पूछा है उस का इन्होंने जवाब नहीं दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आपने मेरा पूरा जवाब नहीं सुना है, पहले मेरा जवाब सुनिये। मैंने अपने जवाब में सबसे पहले इस कमेटी की महत्ता बतलाई है और उसके बाद कहा है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि कम से कम समय में यह राष्ट्र भाषा···

श्री रामावतार शास्त्री : फिर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह राज भाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है। हमारे यहां की तमाम भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं, लेकिन हिन्दी आफिशियल लेंग्वेज है, राज भाषा है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The national languages are 16 in number as has been mentioned in the Constitution.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: Every language is equal but Hindi is the official language.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Tamil and Hindi are equal in status, as far as the national languages are concerned.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is our endeavour to make it an official language as early as possible in all the States.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, हमारे सवाल को टाल दिया गया है, अभी तक सही जवाब सवाल पूछने के बावजूद भी नहीं दिया गया है। मैं आप का संरक्षण चाहता हूं—हमने पूछा है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या व्यवस्था है और उक्त निर्णयों का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की जाती है ? इन्होंने नाम बतला दिये हैं कि अमुक-अमुक लोग इस समिति के मदस्य हैं, बहुत

महत्वपूर्ण समिति है, इतने उत्तर से काम नहीं चलेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि इस समिति के जो निर्णय हैं उनकी कोई अवमानना नहीं कर सकता। प्रधान मंत्री जी इसकी अध्यक्षा हैं और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जो भी निर्णय हों उनका सही तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन हो।

अध्यक्ष महोदय : जो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जहां निर्णय लिया गया हो लेकिन अमल न हुआ हो।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा हुआ है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : प्रश्न के (ख) भाग में मैंने पूछा है कि राजभाषा हिन्दी के प्रकाशनों व पत्र-पत्रिकाओं को अंग्रेजी प्रकाशनों व पत्र-पत्रिकाओं के समान ही दर्जा देने और उसी के अनुसार कर्मचारी वृन्द देने के लिये क्या निर्णय लिया गया है ? इसके जवाब में बतलाया है—जैसे (क) का जवाब दिया है वैसे ही (ख) में बतलाया है—"अनुरोध किया गया है कि अपने यहां से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय स्टाफ की स्थिति की जांच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हिन्दी की पत्रिकाओं के लिये उतना स्टाफ अवश्य रखा जाय जितना समकक्ष अंग्रेजी की पत्रिका के लिये रखा गया है और उन का वेतन भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्देश कब दिया गया और उसको वास्तव में लागू किया गया है या नहीं, क्या इसको आपने देखा है ? मैं आपको उदाहरण दूंगा कि कहां-कहां यह अभी भी लागू नहीं हुआ है।

मेरे प्रश्न के (ग) और (घ) भागों के उत्तर में ये कहते हैं कि सभी मंत्रालयों और विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) भाग के उत्तर के लिये कहीं बाहर से सूचना मंगाने की जरूरत नहीं है, ये चाहें तो यही बतला सकते हैं। (घ) भाग में मैंने पूछा है—"हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, विशेषत: "आविष्कार" "खेती" "कुरुक्षेत्र" "योजना" "भागीरथ" और "विज्ञान-पत्रिका" के सम्पादकीय-वृन्द को यथायोग्य दर्जा तथा सुविधायें देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है। 21 दिनों के बाद यह उत्तर आता है कि जानकारी मंगा रहे हैं। इससे कुछ पता नहीं चलता है कि कब तक मंगायेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यह बताने की कोशिश की है कि जो केन्द्रीय हिन्दी समिति है, उसने दिसम्बर 1977 में एक रेजोलूशन पास किया था और वह रेजोलूशन यह है :

There should be no discrimination in respect of pay scales, designation and other conditions of service.

ये पूछ रहे हैं सर्विस कंडीशन्स और पे के बारे में। इन के बारे में यह है :

"Service conditions between the officers and employees working in the editorial departments of various magazines in Hindi and Indian languages and those who are working

on the Indian language magazines on equivalent posts may be taken up for bringing out uniformity between them."

इस रेजोलूशन को इम्पलीमेंट करने के लिए फिर आफिशियल लेंगुएज कमेटी ने 16 फरवरी, 1978 को सब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को लिखा और उसके बाद यह देखा गया है कि जहां-जहां एडीटोरियल स्टाफ और हिन्दी मैगजीन का जो स्टाफ है, उनकी पे वगैराह को इक्वेलाइज किया गया है। एक सब-कमेटी भी इसके लिए एपाइन्ट की गई थी जो यह देखे कि गैट-अप अच्छा हो, मैगजीन की क्वालिटी अच्छी हो, आरीजनल आर्टीकिल्स लिखें और ट्रान्सलेशन न हो। यह सब करने के बाद आज स्थिति यह है कि जिस हिन्दी मैगजीन का सर्कूलेशन इंगलिश मेगजीन जैसा है, उसमें जो स्टाफ है, उसका पे-स्केल आदि सब इक्वेलाइज किया गया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक मैगजीन एक जनह के लिए हो। मान लीजिए, मिसाल के तौर पर कोकोनट के बारे में कोई एक मैगजीन है। उसका एक रेसट्रिक्टेड एरिया है तो उसका सर्कूलेशन भी कम होगा। इसलिए उसका जो स्टाफ वगैरा होगा, उसकी पोजीशन उस तरीके की नहीं होगी जैसी और बड़ी मैगजीन की है। तो सब का एक सा नहीं हो सकता। कमपैरीजन जब हम करते हैं, तो कमपैरीजन दोनों इकुवल मैगजीन के बारे में किया जाता है। एक इंगलिश की मैगजीन है, उसका जितना सर्कूलेशन है, उतना ही अगर हिन्दी मैगजीन का हो, तो उसके स्टाफ की सेलरी, पे आदि सब इक्वेलाइज की जाती हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मकवाना साहब को कहां से यह जानकारी मिल गई, मुझको पता नहीं लेकिन मैं हाऊस के फ्लोर पर चैलेंज कर सकता हूं कि जो आफिशियल लेंगुएज एक्ट है, उसको सर्वप्रथम मंत्री जी पढ़ लें, दोनों मंत्री जी पढ़ लें। आफिशियल लेंगुएज एक्ट 1963 में बना था और इस एक्ट में यह कहा गया था कि देश की राजभाषा हिन्दी रहेगी और अंग्रेजी सहयोगी भाषा रहेगी। 1963 का यह कानून है और इस के मुताबिक यह कहा गया था कि हिन्दी की प्रगति के लिए सारी कार्यवाही की जायगी। इसके सैक्शन 3 (3) में यह रखा है और निश्चित रूप से यह कर देना था जैसा कि रपट के सम्बन्ध में, जैसा नोटिस के सम्बन्ध में, टैण्डर के सम्बन्ध में कि ये सारे द्विभाषिक होने चाहिए लेकिन सिर्फ संसद् रिपोर्ट को छोड़ कर हिन्दुस्तान में कहीं भी जितने भी कागज-पत्र हैं, वे द्विभाषिक रूप में नहीं निकल रहे हैं। सब से ज्यादा शर्म की बात इस देश में यह है—यहां पर भारत की प्रधान मंत्री बैठी हुई हैं कि हिन्दुस्तान का जो संविधान है, उस हिन्दुस्तान के संविधान को हिन्दी में वैधानिकता प्राप्त नहीं है। आजादी के 34 वर्ष के बाद भी आज देश के संविधान को हिन्दी में, अपनी मातृभाषा में वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई है। देश की अखण्डता की, नेशनल इन्टेग्रेशन की बात कहते हैं। यह कितने शर्म की बात है। इसलिए सब से पहले आपको यह बताना होगा, गृह मंत्री जी आप यह बताइए कि आजादी के 34 वर्ष के बाद भी संविधान को हिन्दी में अभी तक जो वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई है, उसको आप कब तक वैधानिकता प्राप्त कराएंगे।

दूसरा मेरा कहना यह है। (बी) पार्ट यह है कि जिस विभाग में 80 परसेन्ट.....

एक माननीय सदस्य : (बी) नहीं (ख)... (व्यवधान)....

श्री मनीराम बागड़ी : इस तरीके से मजाक न उड़ाइए। इस तरह से आप बोल रहे हैं। ·· (व्यवधान) ····

श्री रामावतार शास्त्री : आप बीच में कहां से आ गये।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर (ख) की जगह (बी) कह दिया, तो क्या हुआ। ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इन को बोल लेने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी के संविधान की संवैधानिक कापी कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि आफिशियल लेंगुएज एक्ट में व्यवस्था है कि जिस विभाग में 80 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी हिन्दी जानते हैं उस विभाग में हिन्दी में काम करने में क्या कठिनाई है ? जिस विभाग में यह नहीं होता है क्या उस विभाग के लिए किसी दण्ड का आप प्रावधान कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सवाल इस सवाल में से नहीं उठता है। यह सवाल हिन्दी की पब्लिकेशन के बारे में है और जो लोग पब्लिकेशन में लगे हुए हैं उनके बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है लेकिन प्रश्न एक यह भी है कि हमने पहले भी कई बार इस पर विचार किया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी संविधान का अनुवाद होना चाहिए। आगे भी कई बार यह प्रश्न आया है और हम इसका पूरा जवाब नहीं दे पाते हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए कि आप इसे कब तक करवा दोगे ? आप इसे करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं ? बहुत दिनों से यह प्रश्न चल रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस सवाल का जवाब हम देंगे। लेकिन यह जो सवाल उठाया गया है उसमें से यह सवाल नहीं उठता है। इस सवाल का जो स्वरूप है उसमें यह फिट नहीं होता है। फिर भी हम जवाब जरूर देंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम उसको करवाएंगे। हम उसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं दे सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आप क्या किसी बनिये के नौकर हैं ? क्या बात है ? आपको फिक्स्ड तारीख देनी चाहिए कि फलां तारीख तक यह हो जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : इस सदन में भारत की प्रधान मंत्री बैठी हैं, इस देश का गृह मंत्री बैठा है और फिर इस देश को और सदन को अपने संविधान की कापी हिन्दी में उपलब्ध न हो, क्या यह बात अच्छी है ? हिन्दी के संविधान की कापी कब तक उपलब्ध हो जाएगी इसके बारे में आपका क्या जवाब है ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी चेअर से रूलिंग दी है कि यह गंभीर मामला है। इसका जवाब आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हैं। पिछली दफा भी जब वे यहां बैठी थीं तो उस वक्त भी तारीख नहीं बतायी गयी थी। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के जवाब देने का यह तरीका है ? यह कब तक आप करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : पिछली दफा प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि किसी पर

कोई भाषा हम नहीं लादना चाहते हैं । हम भी नहीं चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी का संविधान है, हिन्दी का संविधान आप कब तक लाना चाहते हैं ? यह कब तक हो जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं सहमत हूं कि यह होना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री जी बोलें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह कब तक होगा ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के साथ यह जो सप्लीमेंट्री सवाल किये गये हैं ये बेशक असंगत हैं लेकिन आपके कहने से यह जरूरी है कि इन सवाल का जवाब दिया जाए । दो प्रश्न हैं । एक तो यह है कि जो चीजें हमारी यहां चलती हैं वे पहले हिन्दी में बनें फिर उनका अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए । यहां यह चलता है कि पहले चीज अंग्रेजी में बनती है फिर उसका हिन्दी में अनुवाद होता है । इसलिए हिन्दी का दर्जा कम रह जाता है । दूसरा सवाल यह है कि हमारा संविधान हिन्दी में भी मिलता है लेकिन जो अथोन्टिक माना जाता है वह अंग्रेजी का माना जाता है । तो इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट इसको पास करे । जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करती तब तक यह नहीं हो सकता । हम कोशिश करेंगे कि इस कमी को पूरा करने का जल्दी से जल्दी उपाय किया जाए ।

श्री रामविलास पासवान : आप इस सेशन में सशोधन लायेंगे क्या ?

श्री जैल सिंह : यह सवाल इतनी जल्दी हल नहीं होगा, क्योंकि सब विरोधी दलों से बात करनी होगी····

श्री रामविलास पासवान : सब तैयार हैं ।

श्री जैल सिंह : सब प्रांतों के मुख्य मंत्रियों से बात करनी होगी और उसके बाद यह सारी कार्यवाही करेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल अधूरा जवाब है । प्रधान मंत्री जी चुप बैठी हैं । सभी दलों का समर्थन है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : इससे अधिक राष्ट्र महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूं कि इस सवाल के लिए क्या हम को लड़ना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई नहीं लड़ेगा सबका मत है तो ठीक होगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : इस सेशन में करवा देंगे, अगले सेशन में करवा देंगे—कुछ तो कहना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : हो जाएगा, आप बैठिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय हिन्दी समिति की इन्होंने चर्चा की, इस लिए मैं पूछ रहा हूं कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की पिछली बैठक कब हुई, उसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए और उन निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : एक का जवाब पूछ लीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : तीनों सवाल एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, इस वक्त उनके पास जानकारी नहीं है, आप सवाल कर लीजिए मैं जवाब दिलवा दूंगा ।....(व्यवधान)....

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस बात से.... ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, बैठिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसका मतलब यह है कि मैं सवालों के वक्त इस सदन को छोड़ कर चला जाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मातृभाषा, राष्ट्र-भाषा का प्रश्न है--अंग्रेजों की गुलाम भाषा.... .. (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे ।

Shri Mani Ram Bagri then left the House

Deployment of CRPE and BSF by States

*142. SHRI T. R. SHAMANNA :
SHRI CHITTA BASU :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to lay a statement showing :

(a) which are the States that requisitioned Central Reserve Police Force and Border Security Force to maintain law and order in their areas during the current year, so far;

(b) number of times requisition were made by each State; and

(c) who will bear the expenses of the contingents sent at the request of the States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS :—(SHRI YOGENDARA MAKWANA) : (a) and (b). A Statement is laid on the table of the House.

(c) No charges towards the fixed cost of CRPF/BSF Bns. (i. e. on salary, DA etc.) is recovered from States where CRPF/BSF units are deployed. However, w. e. f. 1-4-1976 the additional expenditure involved in the movement and deployment of bns. in the States (i. e. on TA, Rations, motor vehicles, POL, Arms & ammunitions, tentage, maintenance of signal equipments, etc.) is recovered from the States. A flat rate of Rs. 12-00 lakhs per bn. per annum plus actual cost of transportation and movement of bns. has been fixed for convenience in estimating recoveries.

Statement

Sl. No.	Name of State	No. of times Central forces were requisitioned
1.	Andhra Pradesh	8
2.	Assam	2
3.	Bihar	11
4.	Gujarat	3
5.	J&K	2
6.	Kerala	2
7.	Madhya Pradesh	6
8.	Maharashtra	2
9.	Karanataka	11
10.	Meghalaya	2
11.	Orissa	2
12.	Punjab	3
13.	Rajasthan	1
14.	West Bengal	1
15.	Manipur	3
16.	Uttar Pradesh	12
17.	Nagaland	1
18.	Tripura	2